न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:–245 / 2019

1. बलजिन्द्रसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. बुटासिह पुत्र बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गुरमीत सिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रूपराम कासनियां अधिवक्ता वादी
श्री बनवारीलाल गौड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 3-7-17

वादी बलजिन्द्रसिह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के पिता प्रतिवादीसं0 1 के भाई प्रतिवादी सं0 2 के नाम से चकनं0 15 जीजीआर व चकनं0 3 टीएल डबल्यू में खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रतिवादीसं0 1 के नाम चकनं0 15 जीजीआर के खाता सं0 49 / 56 के प0न0 184 / 277 मु0 22 किलानं0 21 / 1 / .228, 21 / 2 / .025, 22,23,24 व चकनं0 3 टीएल डबल्यू में भी आराजी है व प्रविताादीस0 2 के नाम से चकनं0 3 टीएल डबल्यू के प0न0 236 / 289 मु0 17 किलानं0 16 / 1 / .101, 16 / 3 / .025, प0न0 237 / 289 मु0 16 किलानं0 1 / 1 / .228, 1 / 2 / .025, 10,11 व प0न0 237 / 290 मु0 19 किलानं0 10 / 1 / .228, 10 / 2 / .025 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित है।

वादपत्र की दफा 2 में दर्ज समस्त आराजी जद्दी जायदाद है जिसमें वादी का उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। उक्त आराजी पीढी दर पीढी वादी के पूर्वजों के नाम चली आ रही है। वादी एंवम् प्रतिवादीगण के मध्य काफी अर्सा पूर्व वादपत्र की दफा 4 के अनुसार घरू बटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बटवारां ही काश्त करते है व उसी अनुसार रकम राज व आबयाना खजाना राज जमा करवाते आ रहे है।वादी के पिता प्रतिवादीसं0 1 ने गॉव चकनं0 6 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में जो हमारी पुश्तैनी भूमि की आमदनी व बैंक से प्राप्त राशि से चक 15 जीजीआर व चकनं0 3 टीएलडबलयू में आराजी खरीद की जिसमे से चकनं0 15 जी जी आर में 1.012 है0 व चक 3 टीएल डबलयू में 1½ बीघा आराजी अपने नाम से खरीद की व चक 3 टीएल डबल्यू की 1.138 है0 आराजी प्रतिवादी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा दी चूंकि उक्त समस्त आराजी जद्दी जायदाद है क्योकि हमारी तहसील पदमपुर के गॉव 6 ई.ई.ए की पुश्तैनी जमीन की आय व बैंक से प्राप्त आय से यह दोनो चकों की आराजी खरीद की थी इसलिए उक्त समस्त आराजी वादी की जद्दी जायदाद है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। उक्त समस्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिसके रहने से वादी के कानूनी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।इसलिए वादी दावा की चरण सं0 4 में दर्ज घरू बटवारा आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है।

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का आपस मे राजीनामा हो गया है। हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है।वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र कीदफा 4 के अनुसार भूमि वादी को बटवारां मे दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई उज व एतराज नही है।हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो वाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में राजीनामा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। वादी का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई।प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 2 के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयॉ प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर पैतृक सम्पति होना साबित है।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेज,सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है।वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादी को चकनं0 15 जीजीआर प0न0 184/277 किलानं0 21/1/.228, 21/2/.025, 22,23,24 कुल 1.012 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 15 जीजीआर के खाता सं0 49/56 में से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक........3-9-19..............को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 245/2019

1. बलजिन्द्रसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. बुटासिह पुत्र बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गुरमीत सिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रूपराम कासनियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री बनवारीलाल गौड़ प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी को चकनं0 15 जीजीआर प0न0 184/277 किलानं0 21/1/.228, 21/2/.025, 22,23,24 कुल 1.012 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 15 जीजीआर के खाता सं0 49/56 में से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..........निल..........मुब्लिक........निल...........बाबत्................निल.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-9-19 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner